सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 44 / 2017

बउनवान

मोहनलाल पुत्र शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :— 1— श्री बनेराज सिंह अभिभाषक (अपीलांट)

2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.3.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 272 / 2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 29.4.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कुन्जेड की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 343 की रकबा 1.00 हेक्टयर भूमि पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 500 / — रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 1.8.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अपीलांट एक गरीब 70 वर्ष का बीमार काश्तकार है। जिसे ह्वदयघात होने के कारण बेडरेस्ट पर रहा है। इस प्रकार मूल अतिक्रमी अपीलांट नही होकर अन्य व्यक्ति सम्भवता हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति मे एकतरफा निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे बेदखलीनामा पर तारीख नही है कि अपीलांट को कब बेदखल किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.7.2017 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 31.7.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 31.7.2017 के नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2071 मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू मे अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो मे जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। अपीलांट एक गरीब 70 वर्ष का बीमार काश्तकार है। जिसे ह्नदयघात होने के कारण बेडरेस्ट पर रहा है। इस प्रकार मूल अतिक्रमी अपीलांट नही होकर अन्य व्यक्ति खातेदार का.मु. सम्भवता हो सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 272/2015 मे पारित आदेश दिनांक 29.4.2015 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार अटरू 7 दिवस मे जॉच करे कि अपीलांट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम कुन्जेड तहसील अटरू के खसरा नम्बर 343 की रकबा 1.00 हेक्टयर भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान मे कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड दे, तो तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 272/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 29.4.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.4.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां